यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चम्पावत के माह 04/2014 से 11/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 15.12.2018 से 22.12.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रित्यांशु कुमार श्रीवास्तव, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 31.01.2015 से 10.02.2015 तक श्री हनुमान सिंह, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2009 से 03/2014 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 11/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई द्वारा जनपद में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालयों को रमसा के अन्तर्गत धनराशि वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार आबंटित कर उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र माध्यमिक विद्यालयों हेतु सम्पूर्ण जनपद चम्पावत है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(` लाख में)

Ø0 सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष				
		2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (11/2018)
1.	आरम्भिक अवशेष	6.95	267.44	0.29	48.31	14.11
2.	वर्ष में कुल प्राप्तियॉ					
	केन्द्रॉश	628.06	557.61	743.94	700.29	658.10
	राज्यॉश	209.35	61.96	27.55	8.89	0.49
	अन्य श्रोतों से	2.50	4.15	2.80	2.54	–
3.	कुल योग (1+2)	846.86	891.16	774.58	760.03	672.70
4.	वर्ष के दौरान कुल व्यय	579.42	890.87	694.31	745.85	495.22
5.	अन्तिम अवशेष (3–5)	267.44	0.29	80.27	14.18	177.48

नोट :– अवशेष धनराशि में मात्र बैंक खाते की धनराशि सम्मिलित है, जो कि कार्यालय के इलाहाबाद बैंक खाते में रखी गई है। कोषागार के माध्यम से बचत की धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014–15	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	6.95	839.91	579.42	–	267.44
2015–16		267.44	623.72	890.87	–	0.29
2016–17		0.29	774.29	694.31	–	80.27*
2017–18		48.31	711.73	745.86	–	14.18*
2018–19 (11/18)		14.11	658.59	495.22	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत	

* कोषागार के माध्यम से बचत की धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन वेतन मदों हेतु कोषागार के माध्यम से तथा अन्य मदों हेतु बैंक के माध्यम से राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "**ब**" श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

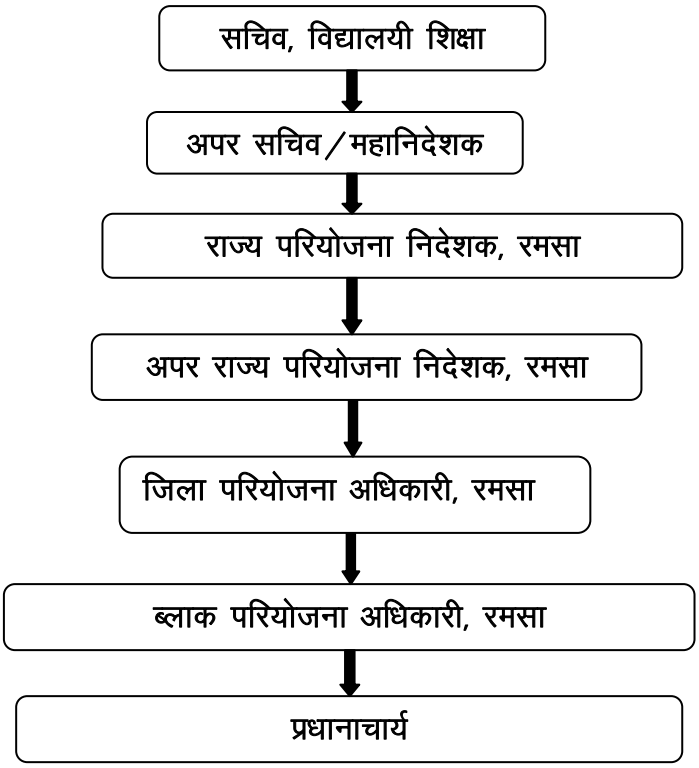

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अप्रैल 2015, दिसम्बर 2016 एवं जनवरी 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयन अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: कार्यालय की उदासीनता के परिणामस्वरुप विद्यालय भवन निर्माण पर रु0 40.99 लाख का अनुपयोगी व्यय।

शासन द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिमलखेत को हाई स्कूल के रुप में उच्चीकृत किया गया (23.08.2011) तथा विद्यालय के मुख्य भवन निर्माण कार्य हेतु रु0 45.54 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान की गई (22.03.2013), जिसमें कक्षा कक्ष–2, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कला एवं Øाफ्ट, प्रधानाचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष एवं शौचालय ब्लाक का निर्माण कार्य किया जाना था। निर्माण कार्य हेतु सिंचाई निर्माण खण्ड, लोहाघाट (चम्पावत) के साथ एक समझौता ज्ञापन गठित किया गया (05.04.2013), जिसके अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि 15 माह अर्थात 26.06.2014 निर्धारित की गई थी।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चम्पावत के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिमलखेत के भवन निर्माण से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निर्माण एजेंसी को स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष समझौता ज्ञापन के अनुसार 90 प्रतिशत धनराशि रु0 40.99 लाख (वर्ष 2013–14 : रु0 22.77 लाख तथा 2014–15 : रु0 18.22 लाख) अवमुक्त की गई। निर्माण एजेंसी द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिमलखेत में मुख्य भवन (कक्षा कक्ष–2, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कला एवं Øाफ्ट, प्रधानाचार्य कक्ष एवं कार्यालय कक्ष) का निर्माण कार्य रु0 40.99 लाख की लागत से पूर्ण किया गया था (04.04.2016) परन्तु शौचालय ब्लाक का निर्माण कार्य आंगणन में त्रुटिवश मात्रा/दर कम आंगणित होने एवं बजट की कमी के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा कार्य पूर्ण की पुष्टि करते हुए (***जैसा कि फोटोग्राफ में देखा जा सकता है***) उल्लेख किया कि कक्षा–कक्षों एवं अन्य सभी कक्षों की खिडकियों के शीशे लगने के साथ छात्र–छात्राओं हेतु शौचालय नहीं बनाया गया है जो कि अति आवश्यक है (03.05.2016) ।

इस हेतु निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यालय को बिना शौचालय निर्माण के मुख्य भवन हस्तगत करने हेतु अनुरोध किया (04.04.2016) परन्तु विभाग द्वारा बिना शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हुए हस्तगत किए जाने से इन्कार कर दिया गया (04.06.2016) तथा अवगत कराया कि रमसा के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार किए गये विस्तृत आंगणन के अनुसार ही वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है तथा एम0ओ0यू0 के अनुसार स्वीकृत आंगणन के अनुसार ही कार्य पूर्ण किया जाना है। जब तक अनुमोदित आंगणन तथा मानचित्र के अनुरुप कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक कार्य को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा भी आपत्ति कर उल्लेख किया गया कि भवन निर्माण पूर्ण न होने में शिक्षा विभाग की लापरवाही से व्यय किए जाने के बावजूद छात्र–छात्राओं को खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर होना पड रहा है। कार्यालय द्वारा निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति ज्ञात होने के बावजूद निर्माण एजेंसी से शौचालय निर्माण हेतु

पत्राचार (30.07.2016, 04.10.2017, 03.01.2018 एवं 07.06.2018) करता रहा, जबकि निर्माण एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया था कि बिना अतिरिक्त धनराशि के शौचालय ब्लाक का निर्माण नहीं हो पाएगा। कार्यालय द्वारा उदासीनता का परिचय देते हुए न तो कभी भी निर्माण एजेंसी पर एम0ओ0यू0 के प्रस्तर–6, 14 एवं 16 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई जिसमें निर्माण एजेंसी से कार्य वापस लेने, समुचित हर्जाना वसूलने एवं विलम्ब हेतु 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह धनराशि वसूलने का प्रावधान किया गया था एवं न ही शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि हेतु कदम उठाए गये। जिसका परिणाम यह हुआ कि वर्तमान में विद्यालय भवन अप्रैल 2016 की स्थिति में ही रु0 40.99 लाख व्यय के साथ अपूर्ण अनुपयोगी पडा हुआ है।

इसके अतिरिक्त जॉच में पाया गया कि विद्यालय को वर्ष 2013–14 में रु0 6.35 लाख फर्नीचर एवं विज्ञान उपकरण हेतु प्रदान किए गये (24.03.2014), जबकि विद्यालय भवन का निर्माण कार्य तत्समय निर्माणाधीन था। विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2013–14 के निर्माणाधीन भवनों हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गये थे (17.10.2016) कि फर्नीचर एवं प्रयोगशाला उपकरण की धनराशि विद्यालयों को तभी अवमुक्त की जाए, जब निर्माण कार्य पूर्ण एवं हस्तगत हो चुके हों। कार्यालय द्वारा इन निर्देशों का भी उल्लंघन कर विद्यालय को रु0 6.35 लाख अवमुक्त किए गये। यहॉ तक कि विद्यालय द्वारा बिना भवन के हस्तगत किए ही विज्ञान उपकरण रु0 1.00 लाख दिनॉक 21.04.2014 एवं फर्नीचर रु0 6.35 लाख दिनॉक 24.05.2018 में Øय किया गया। वर्तमान में विज्ञान उपकरण तो उपयोग में लाए जा रहे थे परन्तु फर्नीचर बिना उपयोग के नवनिर्मित भवन के कमरे में अवरुद्ध किया गया था।

इसप्रकार, कार्यालय की उदासीनता के परिणामस्वरुप विद्यालय भवन की स्वीकृति के पॉच वर्ष से अधिक समय ब्यतीत होने तथा रु0 40.99 लाख व्यय के बावजूद भी न तो विद्यालय भवन का कार्य स्वीकृति के अनुरुप पूर्ण हो सका अपितु इन्हीं वर्षों में कक्षा–9 में अध्ययनरत 90 छात्र–छात्राओं एवं कक्षा–10 में अध्ययनरत 83 छात्र–छात्राओं को खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर होना पडा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला परियोजना अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि आंगणन में त्रुटिवश मात्रा/दर कम आंगणित होने एवं बजट के कमी के कारण अवशेष कार्य प्रारम्भ नहीं किए गये। कक्षा–9 एवं कक्षा–10 के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के बैठने की ब्यवस्था के सम्बन्ध में बताया कि समस्त छात्र राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कक्षों में ही अध्ययनरत हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्माण एजेंसी द्वारा ही विस्तृत आंगणन तैयार किया गया था तथा उसी के अनुरुप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। तीन वर्ष तथा 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आंगणन को त्रुटिपूर्ण कहना तथा कार्यालय द्वारा समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्रवाई न किया जाना कहीं–न–कहीं कार्य के प्रति कार्यालय की उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

अतः कार्यालय की उदासीनता के परिणामस्वरुप विद्यालय भवन निर्माण पर रु0 40.99 लाख के अनुपयोगी व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2: विद्यालय भवन निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि में से रु0 7.00 लाख का गबन।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में राजकीय इण्टर कालेज, चौमेल में कला एवं Øाफ्ट कक्ष तथा पुस्तकालय भवन निर्माण हेतु रु0 15.50 लाख अनुमोदित किए गये (12.05.2015), जिसके सापेक्ष कार्यालय द्वारा प्रथम किस्त के रुप में रु0 7.75 लाख प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, चौमेल के विद्यालय प्रबन्ध एवं विकास समिति (एस0एम0डी0 सी0) के खाते में अन्तरित की गई (30.07.2015)। विद्यालय द्वारा 11.07.2015 में अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर ठेकेदार श्री प्रकाश सिंह, रेगडू (चम्पावत) को कला एवं Øाफ्ट कक्ष तथा पुस्तकालय भवन निर्माण हेतु रु0 14.94 लाख में ठेका स्वीकृत किया गया (31.07.2015), जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथियॉ Øमशः 03.09.2015 एवं 02.07.2016 थी।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चम्पावत के राजकीय इण्टर कालेज, चौमेल से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि विद्यालय द्वारा 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार को प्रथम किस्त के भुगतान हेतु रु0 7.00 लाख की धनराशि के दो चैक दिनॉक 09.10.2015 में प्रदान किए गये (09.10.2015), परन्तु विद्यालय के खाते में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण ठेकेदार को भुगतान नहीं हो सका। भुगतान न होने का प्रमुख कारण था कि निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रुप में अवमुक्त धनराशि रु0 7.75 लाख में से रु0 7.00 लाख विद्यालय के कनिष्ठ सहायक द्वारा गबन किया गया (18.09.2015)। विद्यालय द्वारा प्रकरण संज्ञान में आने पर कनिष्ठ सहायक के विरुद्व प्राथमिकी दर्ज की गई (11.10.2015)। ठेकेदार द्वारा एस0एम0डी0सी0 के माध्यम से होने वाले निर्माण कार्य का 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था जिसकी पुष्टि कनिष्ठ/सहायक अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान, चम्पावत द्वारा अपनी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में किया गया (16.10.2015)। परन्तु उसके पश्चात् भुगतान न मिलने के कारण ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया। प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रथम किस्त की धनराशि का गबन होने के कारण न तो पुनः प्रथम किस्त निर्गत की जा सकती है अपितु प्रथम किस्त की उपभोग प्रमाण–पत्र के अभाव में द्वितीय किस्त भी निर्गत नहीं की जा सकती (31.05.2017)। परिणामस्वरुप उक्त निर्माण कार्य प्रथम किस्त रु0 7.75 लाख निर्गत किए जाने के बावजूद भी विगत तीन वर्ष से उसी स्थिति में अपूर्ण पडा हुआ है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला परियोजना अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तथा गबन की राशि प्राप्त हाने या राज्य द्वारा पुनः धनराशि दिए जाने के पश्चात् ही कार्य पूर्ण हो पायेगा।

अतः विद्यालय भवन निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि में से रु0 7.00 लाख के गबन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3: समझौता ज्ञापन के प्रावधान का अनुपालन न कर रु0 10.79 लाख की वसूली न किया जाना।

शासन द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 में हाई स्कूल के रुप में 15 विद्यालय उच्चीकृत किए गये (अगस्त 2011 एवं अप्रैल 2014), जिनके भवन निर्माण हेतु रु0 874.40 लाख (2011–12 : रु0 611.00 लाख एवं 2013–14 : रु0 263.40 लाख) स्वीकृत किए (अगस्त 2011 एवं अप्रैल 2014)। कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु सिंचाई खण्ड, लोहाघाट (चम्पावत) को निर्माण एजेंसी नियुक्त कर समझौता ज्ञापन गठित किए गये। समझौता ज्ञापन के अनुसार (i) निर्माण कार्यों को अधिकतम 15 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाएगा तथा (ii) निर्माण कार्यों को पूर्ण करने या प्रगति में विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेन्सी द्वारा 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती सम्बन्धित ठेकेदारों से की जाएगी, जिसे निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राहक संस्था को वापस किया जाएगा।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चम्पावत के सिविल निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 15 कार्यों जिनकी लागत रु0 874.40 लाख थी, में से 14 कार्य ही पूर्ण कर हस्तगत किए गये तथा एक कार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिमलखेत धनाभाव के कारण अपूर्ण है। पूर्ण एवं हस्तगत किए गये 14 निर्माण कार्यों में से निर्धारित समयावधि में 09 कार्य पूर्ण किए गये तथा 05 कार्य निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण नहीं किए गये। समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्माण कार्यों को पूर्ण करने या प्रगति में विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेन्सी द्वारा 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती सम्बन्धित ठेकेदारों से कर ग्राहक संस्था को वापस किया जाना चाहिए था। परन्तु निर्माण एजेंसी द्वारा विलम्ब से पूर्ण किए कार्यों की कटौती की धनराशि रु0 10.79 लाख कार्यालय को वापस नहीं की गई। कार्यालय द्वारा भी विलम्ब से कार्यों के किए जाने पर निर्माण एजेंसी से समझौता ज्ञापन के अनुसार धनराशि वापस किए जाने हेतु कोई पत्राचार नहीं किया गया, जो निर्माण कार्यों के प्रति कार्यालय की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। वर्षवार विलम्ब से पूर्ण निर्माण कार्यों एवं उसके सापेक्ष कटौती की जाने वाली धनराशि का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

कार्य का नाम	अवमुक्त राशि (लाख में)	एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि से पूर्ण होने की तिथि	विलम्ब (11/2018)	कटौती की जाने वाली प्रतिमाह राशि (0.1% या 0.25%)
रा0उ0मा0वि0, बजौन	50.19	22.06.2014	28.10.2016	28 माह	351330.00
रा0उ0मा0वि0, बडोली	64.76	22.06.2015	31.05.2016	11 माह	178090.00
रा0उ0मा0वि0, कन्यूडा	59.27	22.06.2015	30.12.2016	18 माह	266715.00
रा0उ0मा0वि0, डुंगरालेटी	57.57	22.06.2015	31.05.2016	11 माह	158318.00
रा0उ0मा0वि0, बूंगाबीड	55.41	10.05.2016	28.02.2017	9 माह	124673.00
योग :–					**1079126.00**

इसप्रकार, निर्माण एजेंसी द्वारा ठेकेदारों के देयकों से प्रावधान के अनुरुप कटौती न किए जाने के कारण रु0 10.79 लाख की शासकीय हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला परियोजना अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वर्तमान में संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय को समझौता ज्ञापन के अनुरुप पूर्व से ही उचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

अतः समझौता ज्ञापन के प्रावधान का अनुपालन न कर रु0 10.79 लाख की वसूली न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4: कोषागार से आहरित धनराशि रु0 1561.39 लाख की प्रविष्टि रोकड बही में न किए जाने के साथ–साथ रु0 19.85 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 3/xxvii(6)/ 2013 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के विन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11–सी पंजिका, रोकड बही, बिल रजिस्टर इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चम्पावत की लेखापरीक्षा अवधि (04/2014 से 11/2018) की रोकड बही की जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:–

1. अप्रैल 2016 से नवम्बर 2018 तक कोषागार से आहरित एवं व्यय धनराशि की प्रविष्टि रोकड बही में नहीं की गई थी, जबकि उक्त अवधि में कार्यालय द्वारा बी0एम0–5 के अनुसार कोषागार से रु0 1561.39 लाख की धनराशि आहरित कर व्यय की गई। लेखापरीक्षा दल द्वारा कोषागार के बी0एम0–5 का मिलान विस्तृत जॉच हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों से ही किया गया। कार्यालय में उक्त आहरणों की प्रविष्टि रोकड बही में न होने के कारण अंकगणितीय शुद्धता की भी जॉच नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है:–

सितम्बर-2016	2196300.00	नवम्बर-2017	00
अक्टूबर-2016	4573169.00	दिसम्बर-2017	00
नवम्बर-2016	577928.00	जनवरी-2018	15782820.00
दिसम्बर-2016	14827446.00	फरवरी-2018	777424.00
जनवरी-2017	187060.00	मार्च-2018	5323700.00
फरवरी-2017	9435030.00	अप्रैल 2018	10801910.00
मार्च-2017	14601657.00	मई-2018	5712532.00
अप्रैल 2017	00	जून-2018	5696439.00
मई-2017	00	जुलाई-2018	41632.00
जून-2017	15058323.00	अगस्त-2018	11731193.00
जुलाई-2017	00	सितम्बर-2018	5791573.00
अगस्त-2017	482928.00	अक्टूबर-2018	7371563.00
सितम्बर-2017	14509016.00	नवम्बर-2018	574515.00
अक्टूबर-2017	10084951.00	**योगः–**	**156139109.00**

2. विस्तृत जॉच हेतु चयनित माह अप्रैल 2015 एवं दिसम्बर 2016 में आहरित एवं व्यय धनराशि रु0 19.85 लाख के निम्नलिखित व्यय वाउचर लेखापरीक्षा जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये, जिसके कारण लेखापरीक्षा में उक्त व्यय की सत्यापन जॉच नहीं की जा सकी:–

क्र. सं	चैक / वाउचर संख्या	दिनांक	धनराशि
1.	000206	16/04/2015	153123.00
2.	000208	21/04/2015	15045.00
3.	000209	21/04/2015	3600.00
4.	A 22020017	21/12/2016	4634.00
5.	A 22020030	21/12/2016	11200.00
6.	A 22020031	21/12/2016	20724.00
7.	000707	22/12/2016	4750.00
8.	A 22020038	23/12/2016	1420111.00
9.	A 22020040	23/12/2016	27632.00
10.	A 22020041	23/12/2016	324676.00
योग :-			**1985495.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला परियोजना अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि कोषागार से समस्त लेन–देन सीधे कार्मिकों के बैंक खातों में होने के कारण प्रविष्टि नहीं की गई है, आगामी वर्ष से प्रविष्टि की जाएगी। व्यय वाउचरों के अप्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में बताया कि वर्तमान में उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को रोकड बही का रख–रखाव कर प्रत्येक लेन–देन की प्रविष्टि की जानी चाहिए थी तथा व्यय वाउचरों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

अतः कोषागार से आहरित धनराशि रु0 1561.39 लाख की प्रविष्टि रोकड बही में न किए जाने के साथ–साथ रु0 19.85 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
194 / 2014–15	1	1, 2, 3 एवं 4	–

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
194 / 2014–15	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) रु0 19.85 लाख के व्यय वाउचर

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

Ø 0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री अशोक कुमार	जिला परियोजना अधिकारी, रमसा	07.08.2012 से 15.08.2014
2.	श्री प्रेम सिंह		16.08.2014 से 28.09.2014
3.	श्री कैलाश चन्द्र शाक्य		29.09.2014 से 04.10.2014
4.	श्री प्रेम सिंह		05.10.2014 से 05.01.2015
5.	श्री कैलाश चन्द्र शाक्य		06.01.2015 से 16.09.2015
6.	श्री डी0एस0 राजपूत		17.09.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र